आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **981/2023** (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा– प्रताप नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स भावना मोबाइल एण्ड मोर जरिये प्रोपराईटर श्रीमती सानवी आनन्द,
पताः– दुकान नं.31–32, मकान नं. 12, गुरूनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर।
2. श्रीमती सानवी आनन्द,
पताः– बी–1002, सेडार लग्जरिया बिल्डिंग, मुहाना मंडी गेट के पास, मानसरोवर, जयपुर।
3. श्रीमती सुशीला चंदानी,
पताः– 602, गुमान हाईट्स, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री दीपेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश **दिनांक 26.06.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्रीमती सानवी आनन्द के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति खसरा संख्या 248, 250, 274/252, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जयपुर स्थित सेडार लक्सूरिया, ब्लॉक बी के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दुकान नं. बी–5, क्षेत्रफल 193.64 वर्गफीट(बिना छत हक) को बन्धक रख कर एवं उक्त बंधक संपति पर स्थित चल संपत्ति स्टॉक, बुक डेब्ट्स को हाईपोथिकेट** कर दिनांक **04.08.2021** को **15,25,000/–** रूपये, दिनांक **26.08.2021** को राशि **05,00,000/–** रूपये, कुल राशि **20,25,000/–** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **07.02.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक एवं हाईपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री अभिनव गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। नियत पेशी पर अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, अतः प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को **20,25,000/–** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक/हाईपोथिकेट के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **18,13,201/–** रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **07.02.2023** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है,, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक/हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती सानवी आनन्द के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति खसरा संख्या 248, 250, 674/252, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जयपुर स्थित सेडार लक्सूरिया, ब्लॉक बी के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित दुकान नं. बी–5, क्षेत्रफल 193.64 वर्गफीट(बिना छत हक) एवं उक्त बंधक संपति पर स्थित हाईपोथिकेटेड चल संपत्ति स्टॉक, बुक डेब्ट्स** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब मामदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक **26.06.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner